भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2902
उत्तर देने की तारीख-26/03/2025

देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर

2902 # श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों को साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक साझेदारी और अनुसंधान सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा;
(ख) क्या सरकार, भारत में और अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने के लिए विनियमों को आसान बनाने की योजना बना रही है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किया जाना प्रस्तावित है ताकि विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्र भी इस पहल से लाभान्वित हो सकें?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): देश में शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव और सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) तैयार और अनुमोदित की गई। एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं में से एक "शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण" है, जिसका उद्देश्य विविध शिक्षा प्रणालियों के बीच सामंजस्य के माध्यम से सर्वोत्तम शैक्षणिक और अनुसंधान प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और साझा करना है।

एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एफएचईआई) के शाखा परिसरों की स्थापना में सुविधा प्रदान करने के लिए "यूजीसी (भारत में विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम 2023" जारी किए हैं। इसके बाद, यूजीसी ने भारत में अपना

परिसर स्थापित करने के लिए दिनांक 29 अगस्त 2024 को साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय, यूके को 'आशय पत्र' जारी किया है।

इसके अलावा, गुजरात के गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022 जारी किए गए हैं।

भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों और विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युग्मित, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग) विनियम, 2022 भी जारी किए गए हैं।

भारत सरकार ने देश में उच्चतर शिक्षा तक पहुंच और किफायतता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2017 में स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) पोर्टल का शुभआरंभ किया, ताकि "कोई भी, कहीं भी, कभी भी सीख सके" के दृष्टिकोण के साथ शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराई जा सके। पोर्टल की शुरुआत से अब तक इसमें 5.1 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 6 नवंबर 2024 को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विद्यालक्ष्मी शुरू की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय बाधाओं के कारण कोई भी छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के अंतर्गत, छात्राओं सहित सभी विद्यार्थियों को जमानत-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिन्हें शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता है और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, इस योजना में 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट दी जाती है। ऐसे नए एक लाख छात्रों को जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट नहीं मिल रही है, उन्हें यह ब्याज छूट मिलेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को "स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (एनएसपीजी)" योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराता है। यूजीसी नेट-जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सावित्रीबाई ज्योति राव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप के तहत, एसटीईएम शिक्षा सहित सभी विषयों में पीएचडी करने के लिए फेलोशिप भी उपलब्ध कराता है।
